

कार्यालय प्रथम अपील प्राधिकारी, आर.एस.आर.डी.सी. लि.

अपील संख्या 24/2019

मैसर्स कैमिकल इण्डिया

बनाम

परियोजना निदेशक यूनिट – इलेक्ट्रीकल – प्रथम, जयपुर
प्रथम अपील प्राधिकारी – शैलेन्द्र माथुर (महाप्रबन्धक)

उपस्थित –

- | | |
|----------------|--|
| 1. अपीलार्थी | – श्री धीरज पाठक, |
| 2. प्रत्यार्थी | – परियोजना निदेशक यूनिट – इलेक्ट्रीकल – प्रथम,
जयपुर, आर.एस.आर.डी.सी. |


निर्णय

दिनांक :- 21/06/19

यह कि वर्तमान अपील प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 सपठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अन्तर्गत अपीलार्थी मैसर्स कैमिकल इण्डिया ने दिनांक 29.04.2019 को जरिये श्री धीरज पाठक प्रस्तुत कर परियोजना निदेशक यूनिट- इलेक्ट्रीकल-प्रथम, जयपुर, द्वारा अपलोड तकनीकी समिति की रिपोर्ट दिनांक 10.04.2019 को चुनौती दी है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :-

यह है कि आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा ई – निविदा सूचना संख्या 383/2018-19 दिनांक 06.02.2019 को जारी कर मेडिकल कॉलेज भरतपुर एवं भीलवाडा के लिए मेडिकल इक्यूपमेन्ट खरीदने के लिए योग्य एवं अनुभवी उत्पादनकर्ताओं/अधिकृत आपूर्ति कर्ताओं से निर्धारित प्रपत्र ई टेन्डिंग प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की गई थी। अपीलान्त द्वारा ऑटोमेटिक ब्लड कल्चर सिस्टम इक्यूपमेन्ट के लिए निर्धारित प्रारूपों में ई टेडरिंग ऑनलाईन निविदा अन्य दो निविदाकर्ताओं के साथ अपलोड की गई। तकनीकी मूल्यांकन समिति जिसमें मेडिकल कॉलेज भरतपुर व भीलवाडा के चिकित्सक सदस्यतः थे, उनकी रिपोर्ट के आधार पर तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा दो निविदाओं को उनके द्वारा पूर्ति किये जा रहे इक्यूपमेन्ट वांछित सभी 38 बिन्दुओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं पाये जाने पर निरस्त किये थे। अपीलान्त द्वारा सप्लाई की जाने वाली मेडिकल इक्यूपमेन्ट वांछित 38 बिन्दुओं में से 3 बिन्दुओं की योग्यता नहीं रखने के कारण अपीलान्त की निविदा को तकनीकी मूल्यांकन स्तर पर ही तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक 05.03.2019 को टेक्नीकल बिड होने के उपरान्त वाद परीक्षण निविदा दस्तावेजात दिनांक 10.04.2019 को निरस्त कर तकनीकी मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट को दिनांक 11.04.2019 को अपलोड किया गया। जिसके विरुद्ध अपीलान्त द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत कर निम्नलिखित अनुरोध किया गया।

1. यह कि निविदा से क्रय कि जाने वाली ऑटोमेटिक ब्लड कल्चर सिस्टम से सम्बन्धित किसी भी कम्पनी द्वारा ऐसी मशीन निर्मित नहीं कि जाती है, जो निविदा में धारित सभी 38 बिन्दुओं की पूर्ति करती हो। टेक्नीकल बिड में हमारी कम्पनी की मशीन को जिन आधारों पर डेमोस्ट्रेशन दिये बिना निविदा को निरस्त किये जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलान्त की मशीन सभी प्रकार के सेम्पल का परीक्षण करने के लिए एवं उत्तम रिपोर्ट देने के लिए सक्षम है, अन्य अस्पतालों द्वारा भी उनकी मशीन को क्रय किया गया है, तुलनात्मकरूप से मशीन की कीमत कम है।



2. मेडिकल कॉलेज भरतपुर से तकनीकी समिति के चिकित्सक श्री डॉ. भास्कर ठाकुरिया द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलान्त की मशीन सभी 38 बिन्दुओं की पूर्ति नहीं करने के कारण एवं आज की स्थिति में चिकित्सालय में प्राप्त अन्य सेम्पल की रिपोर्ट देने की दक्षता नहीं रखने के कारण अपीलान्त की निविदा को तकनीकी मूल्यांकन स्तर पर निरस्त किया गया है, इसी प्रकार निविदा प्रक्रिया का कोई उल्लंघन नहीं किया है।

अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।


परियोजना निदेशक आर.एस.आर.डी.सी. यूनिट प्रथम, जयपुर द्वारा यह अभिकथन किया गया कि वित्तीय बिड दिनांक 25.04.2019 को खोली जा चुकी है। अपीलान्त द्वारा वित्तीय बिड खोलने के उपरान्त दिनांक 29.04.2019 को प्रथम अपील श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत की गई जो आर.टी.पी.पी. एक्ट की धारा 38 के अनुसार स्वीकार योग्य नहीं है। आर.टी.पी.पी. एक्ट की धारा 38 के अनुसार उपापन संस्था के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की सीमा निर्धारित है। अपीलार्थी की निविदा को निरस्त कर तकनीकी समिति की रिपोर्ट 11.04.2019 को अपालोड की गई थी। अपीलार्थी को 21.04.2019 तक प्रथम अपील दायर करने की सीमा थी जबकि अपील 29.04.2019 को दायर की गई, अर्थात् प्रस्तुत की गई अपील निर्धारित सीमा के पश्चात् करने के कारण मन्टेबल नहीं है। अपीलार्थी द्वारा विलम्ब को क्षमा करने का कोई प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके साथ प्रस्तुत अभिलेख एवं प्रत्यार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं अभिलेख का अनुशीलन, अवलोकन किया गया। मेडिकल कॉलेज भरतपुर के चिकित्सक श्री डॉ. भास्कर ठाकुरिया, जो तकनीकी मूल्यांकन समिति के सदस्य थे उनकी रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन समिति ने अपीलार्थी की निविदा को निरस्त करने में किसी भी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं की है। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अधिनियम की धारा 38 में जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जानी है उसकी परिसीमन 10 दिन प्रदत्त है, अपीलार्थी तकनीकी मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट दिनांक 11.04.2019 के विरुद्ध अपील दिनांक 29.04.2019 को दायर की गई है। अर्थात् अपील 8 दिवस विलम्ब से दायर कि गई। विलम्ब को माफ कर अपील को समय सीमा में मानते हुये राहत देने का अनुरोध पत्र भी अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस कारण से अपील मियाद बाहर है।

अतः उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 21/06/2019 को सुनाया गया।

प्रथम अपील प्राधिकारी,


(महाप्रबन्धक)

आर.एस.आर.डी.सी. लि. जयपुर।